कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल

क्रमांक / /2015 भोपाल, दिनांक

प्रति,

परिवहन निरीक्षक,

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल

विषयः मार्ग भोपाल से बैरसिया पर संचालित यात्री बसों के यात्रा समय में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 03.07.2015

उपरोक्त विषय लेख है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, भोपाल द्वारा मार्ग भोपाल से बैरसिया पर संचालित यात्री बसों के यात्रा समय में वृद्धि के संबंध आदेश दिनांक 03.07.2014 को पारित किए गए है। आदेश की छाया प्रति संलग्न है।

अतः आदेशानुसार वाहनों का मार्ग पर संचालन करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
भोपाल

पृ. क्रमांक 1422/15 भोपाल, दिनाक 03/7/15

प्रतिलिपि :

01 थाना प्रभारी थाना करोंद जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।

02 जनसम्पर्क अधिकारी, बाणगंगा भोपाल की ओर जन सामान्य की जानकारी हेतु अधिक से अधिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

03 श्री राजेश शर्मा, प्रभारी स्मार्ट कार्ड की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेश का प्रकाशन विभागीय वेब साईट पर करना सुनिश्चित करें।

04 कार्यालयीन सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
भोपाल
03/7/15

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भोपाल संभाग, भोपाल

आदेश

(दिनांक 03.07.15)

सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने बताया कि भोपाल से बैरसिया जाने के 2 मार्ग हैं जिनके व्हायाज इस प्रकार हैं:–

1. भोपाल से बैरसिया व्हाया करोंद, गांधी नगर, दोराहा जोड़, दोराहा खाई खेड़ा, अहमदपुर, भोजापुरा परसोरा .... 84 किमी. एक तरफ की दूरी
2. भोपाल से बैरसिया व्हाया करोंद, गोलखेड़ी, दुपाड़ा, रतुआ, हर्राखेड़ा, सोनकच्छ................ ....42 किमी. एक तरफ की दूरी।

उपरोक्त में से मार्ग क्रमांक 2 में करोंद से बैरसिया तक का 35 कि.मी. का मार्ग काफी खराब है। रोड की स्थिति के संबंध में माननीय विधायक बैरसिया ने दूरभाष पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल एवं कलेक्टर भोपाल को अवगत कराया कि उक्त मार्ग पर संचालित वाहनों का समय रोड सुधरने तक बढ़ाया जाना उचित होगा। इसी प्रकार उक्त मार्ग के वाहन संचालकों ने आर.टी.ए. बैठक दिनांक 24.06.2015 को बताया कि उक्त मार्ग काफी खराब होने से मार्ग को तय करने का समयावधि बढ़ाया जाना अतिआवश्यक है। उक्त मार्ग पर स्थायी एवं अस्थायी परमिट की संख्या 60 से भी अधिक है। जिसकी सूची प्रस्तुत की है। उक्त मार्ग पर वर्तमान में संचालित समय लगभग 1 घण्टा 25 मिनिट है। इसे लगभग 2 घण्टा किये जाने हेतु सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने दिनांक 03.07.2015 को प्रस्तावित किया है।

उक्त प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के उपरांत प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बैरसिया से भोपाल मार्ग पर बीच के 5 स्टॉप बैरसिया से सोनकच्छ, सोनकच्छ से हर्राखेड़ा, हर्राखेड़ा से रतुआ, रतुआ से दुपाड़िया एवं दुपाड़िया से करोंद तक का समय अंतराल प्रत्येक स्टॉप के लिये पूर्व निर्धारित समयचक्र से 5–5 मिनिट बढ़ाया जाता है। इस प्रकार बैरसिया से करोंद तक कुल 25 मिनिट समय अंतराल से पूर्व समयचक्र से वृद्धि किया जाता है। करोंद से भोपाल का समय अंतराल पूर्वानुसार रहेगा।

भोपाल से बैरसिया की ओर जाने वाली वाहनों का समयचक्र 25 मिनिट पूर्व निर्धारित समयचक्र से पूर्व किया जाता है। अर्थात् पूर्व निर्धारित समयचक्र से भोपाल से प्रस्थान 25 मिनिट पूर्व होगा। जिसमें करोंद से भोपाल का समय अंतराल पूर्वानुसार रहेगा। जबकि शेष 5 स्टॉप करोंद से दुपाडिया ,दुपाडिया से रतुआ, रतुआ से हर्राखेड़ा, हर्राखेड़ा से सोनकच्छ एवं सोनकच्छ से बैरसिया के लिये प्रत्येक स्टॉप में 5–5 मिनिट का अंतराल कवर करते हुये बैरसिया पूर्व निधारित समय पर पहुँचेगी। ताकि आगे जाने

क्रमशः पेज 2

वाली वाहनों का समयचक्र प्रभावित न हो। यदि उपरोक्त स्टॉप के अलावा परमिट धारी द्वारा अन्य कोई स्टॉप दिया गया है तो भोपाल से बैरसिया एवं बैरसिया से भोपाल के बीच का समय अंतराल पूर्व निर्धारित समयचक्र से अधिकतम 25 मिनिट वृद्धि किया जाता है। उक्त आदेश दिनांक 04.07.2015 से मार्ग के दुरस्त होने तक प्रभावशील होगा। उक्त आदेश जनहित एवं जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से पारित किया गया है। जिसकी सूचना सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भोपाल प्रसारित करें। वाहन स्वामी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, भोपाल से परमिट की मूलप्रति प्रस्तुत कर परिवर्तन करायें।

सदस्य	सदस्य VIKAS MISHRA	अध्यक्ष (M. S. D. Kanodia)
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण,	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण,
भोपाल	भोपाल	भोपाल